

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या—12/2020

1. तिलेश्वर यादव उर्फ बलारजीत यादव उर्फ बलजीत यादव
  2. आदित्य शर्मा
- .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्तागण के लिए: श्री बी०के० दुबे, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री पंकज कुमार, ए०पी०पी०।

02/14.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्तागण एन०डी०पी०एस० केस संख्या 41 वर्ष 2018 जो राजपुर थाना काण्ड संख्या 4 वर्ष 2018 से उत्पन्न हुआ है, के संबंध में अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ताओं पर जंगल की जमीन को अतिक्रमण कर पोस्ता की खेती करने का संदेह है। याचिकाकर्तागण क्रमशः दिनांक 07.12.2019 एवं 08.12.2019 से हिरासत में हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, उपरोक्त अभियुक्तगण को 10,000 रू० (केवल दस हजार) रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश—सह—विशेष न्यायाधीश, चतरा के संतुष्टि पर राजपुर थाना काण्ड संख्या 4 वर्ष 2018 से उत्पन्न एन०डी०पी०एस० केस संख्या 41 वर्ष 2018

में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)